(17)

I/निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/1842

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

नकटूराम पुत्र मनईराम कुशवाह आयु 50 वर्ष
व्यवसाय कृषि, निवासीग्राम मारौरा अहीर
परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.---निगरानीकर्ता

बनाम

1- श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री सुनील कुमारशर्मा
आयु 40 साल व्यवसाय शासकीय सेविका निवासी
ग्राम सिरसौद हाल निवासी पुरानी रेल्वे लाईन
कुशवाह वाटर सप्लायर के सामने, विवेकानंद
कालोनी शिवपुरीम.प्र.

2- मंगल सिंह

3- लूनरराज

4- भागचन्द

5- शिशुपाल पुत्रगण नकटूरामकुशवाह

6- पदम पुत्र रामजी नकुशवाह आयु 30 वर्ष
2 लगायत 6 निवासीगण ग्राम मारौरा अहीर
परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.
-- रेस्पोंडेन्टस

दिनांक 20.6.17 को श्री राजीव रघुवंशी अभि० द्वारा प्रस्तुत
20.6.17
SO
Rajeev Raghuvanshi Adv.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश
दिनांक 26.4.2017 जो कि न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग
ग्वालियर द्वारा, प्रकरणक्रमांक 672/15-16 अपील व उन्मान
नकटूराम बनाम अनीता आदि मे पारित कियागया।

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर निम्नप्रकार

प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

- - - - - - - - -

1- यहकि निगरानी कर्ता के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 298 रकवा 0.79 हेक्टेयर ग्राम पाटनपुर परगना पोहरी जिला शिवपुरी मे स्थित है। तथा निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर भूमि स्वामी की हैसियत से आज दिनांक तक कृषि कार्य करता चला आ रहाहै।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/शिवपुरी/भू0रा0/2017/1842

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री राजीव रघुवंशी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख अपने आदेश में किया है तथा यह पाया है कि विक्रय पत्र में आवेदक द्वारा विक्रय धन प्राप्त किया जाना तथा मौके पर कब्जा सौंपे जाने का उल्लेख है। विक्रय–पत्र के आधार पर केता का नामांतरण भी हुआ है और उसका निरंतर नाम अभिलेख में चला आ रहा है। उक्त कारणों से उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील को निरस्त किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	